स्वीकृति पत्र

तिथि:
आवेदक:
पता:

सह-आवेदक:
गारंटर:

विषय: **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के साथ ${(product)!} के लिए आपका एप्लीकेशन

रेफरेंस: लोन अकाउंट नंबर:

प्रिय सर / मैडम,

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("गृहम" या "ऋणदाता", जिसका अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा- उसके हस्तांतरिती, समनुदेशिती और भागीदार सह-ऋणदाता, जैसा भी मामला हो) को लोन के लिए पसंदीदा पार्टनर के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद। हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में, हमने आपको नीचे और अगले पृष्ठ पर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार लोन सुविधा मंजूर की है:

स्वीकृत राशि (₹ में)	
लोन का प्रकार	
लोन की अवधि (महीने)	
ब्याज़ का प्रकार	
ईएमआई भुगतान की फ्रीक्वेंसी	मासिक
गृहम की फ्लोटिंग रेफरेंस रेट (एफआरआर)	
मार्जिन/स्प्रेड	
ब्याज दर (% प्रति वर्ष आधार पर)	
स्वीकृति पत्र की वैधता	जारी होने की तिथि से 60 (साठ) दिन
सूचित समान मासिक किश्त (₹ में ईएमआई)	
भुगतान की देय तिथि	हर महीने की 7 तारीख को
प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रीमियम राशि (₹ में)	
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम राशि (₹ में)	
क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्रीमियम राशि (₹ में)	
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम राशि (₹ में)	
सीईआरएसएआई शुल्क	
बकाया ईएमआई/किश्त/प्री-ईएमआई पर ब्याज	लोन पर लागू ब्याज़ दर के साथ

विलंब भुगतान शुल्क/दंड शुल्क (बकाया ईएमआई/किश्त/प्री-ईएमआई पर ब्याज़ के अलावा, भुगतान में देरी होने पर)	12% प्रति वर्ष, यानी, बकाया/डिफॉल्ट राशि का 1% और बकाया राशि/ईएमआई/किश्त/प्री-ईएमआई के भुगतान में देरी/डिफॉल्ट के प्रत्येक महीने के लिए जीएसटी
वैप राशि (₹ में)	
भुगतान का माध्यम	NACH
प्रोसेसिंग शुल्क (नॉन-रिफंडेबल) (₹ में)	
लॉग-इन शुल्क का भुगतान अग्रिम (नॉन-रिफंडेबल) (₹ में) किया जाएगा	
लागू बैलेंस लॉग-इन शुल्क (नॉन-रिफंडेबल) (₹ में)	
लोन सोर्सिंग/लोन डॉक्यूमेंटेशन/तकनीकी/मूल्यांकन/कानूनी/सीईआरएसएआई/सीकेवाईसी/एनईएसएल शुल्क जिसमें लागू टैक्स (नॉन-रिफंडेबल) (₹ में) शामिल हैं	
लोन एग्रीमेंट, सिक्योरिटी क्रिएशन डॉक्यूमेंट(डॉक्यूमेंट्स) आदि पर देय स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और अन्य संबंधित शुल्क.	संबंधित राज्य (राज्यों) में लागू प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी दरों के अनुसार आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा.
पूर्व भुगतान शुल्क	टैरिफ शीट देखें
निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई प्री-पेमेंट/फोरक्लोज़र शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए: (a) जहां हाउसिंग लोन फ्लोटिंग ब्याज दर के आधार पर होता है और किसी भी स्रोत से प्री-क्लोज़ किया जाता है. (b) जहां हाउसिंग लोन फिक्स्ड ब्याज दर के आधार पर होता है और उधारकर्ता द्वारा अपने स्रोतों से लोन को प्री-क्लोज़ किया जाता है***. (c) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को बिज़नेस के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत कोई भी फ्लोटिंग रेट टर्म लोन.	
लोन का अंतिम उपयोग	
सुरक्षा और अतिरिक्त/कोलैटरल सुरक्षा का विवरण	

नोट:

* राशियाँ सांकेतिक हैं और संवितरण की वास्तविक तिथि, ब्याज दर में परिवर्तन (यदि कोई हो) के आधार पर परिवर्तन के अधीन होंगी और इसमें पुनर्भुगतान में चूक की स्थिति में देय अन्य लागू शुल्क शामिल नहीं होंगे.

*** "स्वयं के स्रोत" शब्द का अर्थ उधारकर्ता द्वारा प्री-पेमेंट/फोरक्लोज़र के उद्देश्य से उपयोग/प्राप्त किया गया कोई भी स्रोत होगा और इसमें बैंक, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और/या किसी फाइनेंशियल संस्थान से लिया गया कोई उधार शामिल नहीं है।

मंजूरी की शर्तें:

भवदीय

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड था)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पावती और अभिस्वीकृति

हस्ताक्षर: उधारकर्ता का नाम:	हस्ताक्षर: सह-उधारकर्ता का नाम:	हस्ताक्षर: गारंटर का नाम

तारीख:

स्थान:

अतिरिक्त नियम व शर्तें

1. "आवेदक" शब्द में सभी सह-आवेदक और गारंटर भी शामिल होंगे, जहां भी लागू हो, सिवाय जहां संदर्भ से अन्यथा तात्पर्य हो और गृहम के सभी संदर्भों का अर्थ गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) (गृहम) होगा, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा तात्पर्य न हो।
2. इस स्वीकृति पत्र को गृहम की ओर से अगले पृष्ठ पर उल्लिखित फाइनेंशियल सहायता/सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी भी बाध्यकारी दायित्व को जन्म देने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, जब तक कि आवेदक ने ऋणदाता द्वारा समय-समय पर आवश्यक रूप और तरीके से ऋण समझौते और सुरक्षा निर्माण दस्तावेजों और अन्य लेनदेन दस्तावेजों को विधिवत निष्पादित नहीं किया हो।
3. यह मंजूरी स्वामित्व विलेखों/दस्तावेजों की कानूनी और परिश्रमपूर्ण जांच और प्रतिभूति के रूप में और उसके द्वारा बंधक रखी जाने वाली प्रॉपर्टी के तकनीकी मूल्यांकन के अधीन है. प्रॉपर्टी के स्वामित्व और मूल्य की वैधता और विपणन योग्यता के बारे में स्वीकृत ऋण के प्रयोजन के लिए गृहम की राय को अंतिम माना जाएगा.
4. आवेदक ऋणदाता द्वारा निर्धारित संपत्ति का एक समतामूलक बंधक/पंजीकृत बंधक बनाएगा. ऋण इस ऋण को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित संपत्ति के पहले और अनन्य बंधक और/या ऐसी अन्य सुरक्षा द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, जिसे गृहम आवश्यक और स्वीकार्य समझे. गृहम द्वारा आवश्यक ऐसे दस्तावेज/रिपोर्ट/साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गृहम के पास गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति का स्पष्ट और बिक्री योग्य स्वामित्व है. गिरवी रखी जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति(संपत्तियों) का मूल स्वामित्व विलेख आवेदक द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणदाता के पास जमा किया जाएगा।
5. ईएमआई शुरू होने से पहले, आवेदक को लोन के बकाया बैलेंस पर देय ब्याज की सेवा करने के लिए पूर्व-समान मासिक किश्तों (पीईएमआई) का भुगतान करना होगा. पुनर्भुगतान अनुसूची ईएमआई/पीईएमआई के मूलधन और ब्याज घटकों के बीच विवरण प्रदान करेगी और, ऋण के संबंध में, उसे उधारकर्ता को पहली देय तिथि से पहले प्रदान किया जाएगा.
6. निवास इकाई या निर्माणाधीन आवासीय इकाई के निर्माण के लिए हाउसिंग लोन के मामले में, लोन लेने के 36 महीनों के भीतर निर्माण पूरा न होने पर, गृहम को लोन को नॉन-हाउसिंग लोन में बदलने और अपनी आंतरिक पॉलिसी के अनुसार, लागू होने पर, नोटिस के साथ या बिना ब्याज दर में वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार होगा.
7. ऋण आंशिक या पूर्ण रूप से तब तक वितरित नहीं किया जाएगा, जब तक कि स्वयं का अंशदान (मार्जिन) पूर्ण रूप से अदा न कर दिया जाए, अर्थात आवास इकाई की लागत में से गृह द्वारा स्वीकृत ऋण को घटाकर।
8. अतिरिक्त सीमाओं के मामले में, प्रस्तावित अतिरिक्त सीमा और/या स्वीकृत शर्तों के अनुसार मौजूदा बंधक को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा. गृहम ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियों की तलाश कर सकती है जो अतिरिक्त सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो.
9. आवेदक को पत्राचार पते में किसी भी परिवर्तन, रोजगार में परिवर्तन, नौकरी, व्यवसाय, पेशे के नुकसान के बारे में गृहम को लिखित रूप में सूचित करना होगा, जैसा भी मामला हो, ऐसे परिवर्तन / हानि के तुरंत बाद, देरी के कारणों को सूचित करें, संपत्ति की हानि / क्षति को सूचित करें, संपत्ति में परिवर्धन / परिवर्तन को सूचित करें.
10. ऋण राशि, अन्य बातों के साथ-साथ, इस धारणा पर तय की गई है कि खरीदे जाने वाले या बनाए जाने वाले आवास इकाई की लागत आवेदन में अनुमानित लागत के अनुसार होगी. वास्तविक लागत कम होने की स्थिति में, गृहम ऋण राशि को उचित रूप से कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
11. इस पत्र में या अन्य किसी बात के होते हुए भी, ऊपर बताई गई सुविधाएं पूरी तरह से गृहम के विवेकाधिकार पर उपलब्ध होंगी और गृहम द्वारा निर्दिष्ट/आवश्यक सभी औपचारिकताओं और डॉक्यूमेंटेशन के अनुपालन के अधीन होंगी. इसका पालन न करने की स्थिति में, गृहम को भुगतान की गई सभी फीस रिफंड नहीं की जाएगी.
12. ऋणदाता से लिया गया लॉगिन शुल्क केवल अंडरराइटिंग प्रक्रिया के दौरान आवेदक की मृत्यु और गंभीर विकलांगता जैसी स्थिति में ही वापस किया जा सकता है.
13. ऋणदाता द्वारा लॉगिन शुल्क एक से अधिक शाखाओं में एकत्रित किया जा सकता है.

14. यह प्रस्ताव पत्र निरस्त समझा जाएगा तथा पूर्णतः अमान्य हो जाएगा यदि (a) उस प्रस्ताव में कोई भौतिक परिवर्तन होता है जिसके लिए यह ऋण स्वीकृत किया गया है या; (b) आय, या पुनर्भुगतान की क्षमता या अंतिम उपयोग या ऋण के लिए प्रस्ताव या आवेदन के किसी अन्य प्रासंगिक पहलू से संबंधित कोई भौतिक तथ्य रोक लिया जाता है, दबा दिया जाता है, छिपाया जाता है या गृहम को ज्ञात नहीं कराया जाता है या; (ग) ऋण आवेदन में किया गया कोई भी कथन गलत या असत्य पाया जाता है.
15. स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि जैसे सभी वैधानिक शुल्क या समय-समय पर लागू होने वाले करों का भुगतान आवेदक को करना होगा. आवेदक को गृहम टैरिफ शीट के तहत अधिसूचित - गृहम की वेबसाइट पर समय-समय पर संलग्न/अपडेट किए गए शुल्कों की अनुसूची/शाखाओं में प्रदर्शित अन्य लागू शुल्कों का भुगतान करना होगा.
16. फ्लोटिंग रेट लोन या संयुक्त दर लोन के मामले में (एफआरआर से लिंक होने पर अवधि के दौरान), सुविधाओं पर लागू ब्याज दर डिस्बर्समेंट की तिथियों पर प्रचलित एफआरआर के अनुसार होगी. गृहम, अपने स्वविवेकाधिकार पर, रिव्यू करेगा और, अगर आवश्यक माना जाता है, तो लोन की अवधि के दौरान किसी भी समय और समय-समय पर एफआरआर को संशोधित करेगा, जिसे लोन की अवधि के दौरान उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा. ऐसे लोन के ऐसे revision.In मामले के समय, लोन एग्रीमेंट में उल्लिखित नियम और शर्तों के अनुसार, लागू ब्याज दर को समय-समय पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है. फ्लोटिंग ब्याज दर को रीसेट करने पर, आवेदक को निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प दिया जाएगा:
    . ईएमआई में वृद्धि या अवधि में विस्तार अथवा दोनों विकल्पों का संयोजन; तथा, ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान करने का विकल्प, जो लागू फौजदारी प्रभार/पूर्व भुगतान दंड के अधीन होगा.
17. लागू एफआरआर/फ्लोटिंग ब्याज दर में किसी भी बदलाव/संशोधन के मामले में, आवेदक के पास गृहम की इंटरनल पॉलिसी के अधीन फ्लोटिंग दर से फिक्स्ड दर पर स्विच ओवर करने का विकल्प होगा. हालांकि, फ्लोटिंग दर से फिक्स्ड ब्याज दर में स्विच ओवर करने का ऐसा विकल्प या फिक्स्ड ब्याज दर या इसके विपरीत लोन की पूरी अवधि के दौरान लागू शुल्कों के अधीन दो बार से अधिक उपलब्ध नहीं होगा. इसके अलावा, गृहम, अपने विवेकाधिकार पर, बिज़नेस संबंध के विंटेज और लोन के पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ब्याज दर को पुनर्मूल्यांकन/संशोधित करने का विकल्प प्रदान कर सकता है. ब्याज दर का ऐसा स्विचिंग/रीप्राइसिंग, टैरिफ शीट में उल्लिखित स्विच फीस और अन्य शुल्कों के भुगतान, समय-समय पर गृहम की वेबसाइट पर संलग्न/अपडेट किए गए शुल्कों का शिड्यूल/शाखाओं और अन्य आंतरिक दिशानिर्देशों पर प्रदर्शित होने के अधीन होगा, जिसे गृहम द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित किया जाएगा.
18. गृहम आपके लोन पर प्री-ईएमआई विकल्प को ईएमआई विकल्प में बदल सकता है, जिसे गृहम द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित किया जाएगा और ऐसे बदलाव के संबंध में उधारकर्ता को विधिवत सूचित किया जाएगा.
19. आवेदक उस समय 4 सिक्योरिटी पोस्ट-डेटेड चेक (एसपीडीसी) प्रदान करेगा, जब उन्हें बकाया बैलेंस या बैंक अकाउंट के भुगतान के लिए समाप्त किया जाता है.
20. ईएमआई, प्री-ईएमआई ब्याज का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक और अगर वह दिन रविवार या पब्लिक हॉलिडे है, तो इसके तुरंत पहले वाले दिन तक किया जाता है.
21. ऋण पर संपूर्ण बकाया राशि का उपयोग केवल इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, इस समझौते की शर्तों के किसी भी उल्लंघन की घटना और जारी रहने की स्थिति में (ऊपर खंड 3.8 (a) में निर्दिष्ट भुगतान डिफ़ॉल्ट को छोड़कर)। इस तरह का अतिरिक्त ब्याज ऋणदाता की संतुष्टि के लिए इस समझौते की शर्तों के उल्लंघन की तारीख से ऋणदाता पर लागू होगा जब तक कि इस तरह के उल्लंघन को ठीक/सुधार नहीं किया जाता है।
22. स्वीकृत कुल ऋण-जोखिम में से यदि कोई टॉप-अप राशि है, तो उसे मौजूदा ऋण खाता/प्रस्ताव संख्या में वर्तमान मूल बकाया को समायोजित करने के बाद वितरित किया जाएगा। साथ ही, सभी ऋण खाते/प्रस्ताव संख्याएं एक-दूसरे से जुड़ी होंगी और संबंधित संपत्ति-दस्तावेज तब तक जारी नहीं किए जाएंगे, जब तक कि गृहम की बहियों में सभी ऋण खाते/प्रस्ताव संख्याएं बंद नहीं हो जातीं।
23. बीमा निवेदन का विषय है। आवेदक के पास समूह बीमा योजना (गृहम को मुख्य पॉलिसीधारक के रूप में) के तहत नामांकन करने का विकल्प है, ताकि प्राप्त ऋण सुविधा को पूर्ण या आंशिक संवितरण में कवर किया जा सके. हालांकि, आवेदक किसी भी बीमा मध्यस्थ से बीमा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है. किसी भी उल्लंघन के मामले में, कृपया इसकी रिपोर्ट nodalofficer@grihumhousing.com पर करें. कृपया ध्यान दें कि यदि आवेदक बीमा कवर प्राप्त करता है, तो उसे इसके लिए

बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिसका भुगतान आवेदक द्वारा सीधे या गृहम के माध्यम से आवेदक के अनुरोध पर ऋण राशि से प्रीमियम काटकर किया जा सकता है. सभी बीमा (जीवन और गैर-जीवन दोनों) पॉलिसियाँ बीमा प्रमाणपत्र की प्रभावी तिथि हैं.

24. इसके नियम और शर्तें ऋण सुविधाओं पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होंगी और लागू सूचना के साथ परिवर्तन के अधीन होंगी.
25. उपर्युक्त ऋण उस प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया है जिसके लिए इसे आवेदन किया गया है. यदि ऋण का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है या गृहम को यह आशंका होती है कि ऋण को इस प्रकार का अन्य प्रयोग करने की संभावना है, तो गृहम को ऋण वापस लेने और देय राशि को याद करने का अधिकार होगा.
26. इसके द्वारा मंजूर किए गए लोन को स्वीकार करके, आवेदक स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि उनके द्वारा लिए गए लोन के साथ-साथ उनके द्वारा लिए जाने वाले लोन का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए किया गया है/किया जाएगा, जिनके लिए उन्हें दिया गया है. और किसी भी रूप में किसी भी अवैध और/या असामाजिक और/या सट्टेबाजी के उद्देश्यों के लिए नहीं.
27. ऊपर सूचीबद्ध सभी ऋण सुविधाएं और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को भारतीय कानूनों के अनुसार शासित किया जाएगा और पुणे में न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन रहेगा.
28. देय तिथियों पर लोन/एडवांस/सुविधा/ब्याज के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट होने के मामले में, गृहम के पास आवेदक और/या इसके पार्टनर/डायरेक्टर के नाम को डिफॉल्टर के रूप में प्रकट करने या प्रकाशित करने का निरपेक्ष अधिकार होगा और ऐसे माध्यम के माध्यम से, जैसे गृहम उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उपयुक्त समझ सकता है.
29. यहां पहले बताए गए सैंक्शन के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन, परिवर्तन या छूट, प्रवर्तनीय और बाध्यकारी नहीं होगी, जब तक कि ऐसा संशोधन, परिवर्तन या छूट गृहम द्वारा अनुमोदित/अनुमोदित न हो. गृहम स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से सुविधा के नियमों और शर्तों में परिवर्तन/परिवर्तन या छूट के लिए किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल शामिल हैं लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जब तक कि ये निम्नलिखित ईमेल एड्रेस से नहीं हैं:- customercare@grihumhousing.com .
30. किसी भी ऋण खाते को विशेष उल्लेख खाते (एसएमए)/गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करना और एक बार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद ऋण खाते का उन्नयन मानक के रूप में लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुसार होगा. 30 दिनों तक की अवधि के लिए अतिदेय मूलधन या/और ब्याज या किसी अन्य राशि (पूरी तरह/आंशिक रूप से) के साथ ऋण खाते को एसएमए-0 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, 30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक की अवधि के लिए अतिदेय मूलधन या/और ब्याज या किसी अन्य राशि (पूरी तरह/आंशिक रूप से) के साथ ऋण खाते को एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. 60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक की अवधि के लिए अतिदेय मूलधन या/और ब्याज या किसी अन्य राशि (पूरी तरह/आंशिक रूप से) के साथ ऋण खाते को एसएमए-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय मूलधन या/और ब्याज के साथ ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. इसके अलावा, एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण/उधारकर्ता को मानक परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जाएगा जब संपूर्ण मूलधन और ब्याज बकाया का भुगतान किया गया हो. यह खंड समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए विनियामक निर्देशों/दिशानिर्देशों के अधीन होगा. एसएमए/एनपीए के रूप में यह वर्गीकरण और अन्य प्रावधान वर्तमान में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार हैं और लागू विनियामक आवश्यकताओं में किसी भी बदलाव के मामले में, वर्गीकरण परिवर्तित/संशोधित विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार होगा. आवेदक इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्हें ऋणदाता द्वारा उनकी स्थानीय भाषा में उदाहरण के साथ परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड की विधिवत व्याख्या की गई है और उन्होंने उक्त परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड को स्पष्ट रूप से समझ लिया है.
31. इस स्वीकृति पत्र को स्वीकार करके, आप पुष्टि करते हैं कि आपने जोखिम के ग्रेडेशन के लिए गृहम द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण समझ लिया है और उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न ब्याज दर प्रभारित करने के तर्कसंगत है. इस संबंध में, कृपया ध्यान दें कि गृहम ने लोन और अग्रिम के लिए प्रभारित ब्याज दर निर्धारित करने के लिए निधियों की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम जैसे संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर मॉडल अपनाया है. इस प्रयोजन के लिए, गृहम आय/रोजगार प्रोफाइल, पुनर्भुगतान क्षमता, अन्य फाइनेंशियल प्रतिबद्धताएं, ऋण इतिहास, मूल्य अनुपात के लिए ऋण, प्रतिभूति/संपार्श्विक प्रकार, ऋण का प्रयोजन, विनियामक पूंजी/प्रावधान आदि जैसे कारकों पर भी विचार करता है. तदनुसार, गृहम

विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न ब्याज दर प्रभारित कर सकते हैं. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए, कृपया गृहम की वेबसाइट देखें.

32. इस लेटर को स्वीकार करना एक पुष्टिकरण है कि आवेदक ने पूर्वोक्त उल्लिखित विषय-वस्तुओं को पढ़ा और समझा है और यह भी पुष्टि करता है कि आवेदक को किसी भी मुफ्त उपहार/छूट या कोई अन्य प्रतिबद्धता का वादा नहीं किया गया है जो गृहम के साथ ऋण करार में प्रलेख नहीं किया गया है. यह और पुष्टि की जाती है कि ऋण राशि के संबंध में आवेदक से कोई नकद/बेयरर चेक नहीं लिया गया है.
33. आवेदक इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि उन्होंने स्वीकृति पत्र की शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है. आवेदक आगे कन्फर्म करता है कि ऋणदाता ने उन्हें अपनी स्थानीय भाषा में स्वीकृति पत्र की शर्तों को समझाया है, और उन्होंने इसे पूरी तरह से समझ लिया है. आवेदक आगे ऋणदाता को प्रतिनिधित्व और कन्फर्म करते हैं कि उन्होंने इस स्वीकृति पत्र के सभी नियम और शर्तों को पूरा किया है और समझ लिया है, जो उन्हें https://grihumhousing.com पर गृहम की वेबसाइट पर सबसे अच्छी तरह से समझने वाली भाषा में उपलब्ध कराया गया है .
34. कृपया ध्यान दें कि, इस स्वीकृति पत्र में या अन्य किसी बात के होते हुए भी, लोन केवल गृहम के विवेकाधिकार पर उपलब्ध होगा और गृहम द्वारा निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं और डॉक्यूमेंटेशन के अनुपालन के अधीन होगा. इसके अलावा, गृहम इस स्वीकृति पत्र को अस्वीकार करने और रद्द करने या किसी भी कारण के साथ या बिना किसी एकतरफा लोन को कम करने का निर्णय ले सकता है.
35. लोन से संबंधित सभी देय राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान/सेटलमेंट के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर, ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा सबमिट किए गए सभी मूल प्रॉपर्टी/टाइटल डॉक्यूमेंट रिलीज़ करेगा और रजिस्टर्ड शुल्क को हटाने के लिए संबंधित रजिस्ट्री के साथ कार्रवाई/फाइल शुल्क संतुष्टि फॉर्म लेगा, जहां भी लागू हो, गृहम के पक्ष में किसी अन्य शुल्क या सिक्योरिटी ब्याज को जारी रखने के अधीन होगा. मूल प्रॉपर्टी/स्वामित्व दस्तावेज ऋणदाता की ब्रांच में या तो उधारकर्ता को दिए जाएंगे, जहां से लोन अकाउंट की सर्विस की गई थी या ऋणदाता की किसी अन्य ब्रांच में, जहां उक्त डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, जो आपकी पसंद के अनुसार होगा.
36. यदि उधारकर्ता ने ऋण की मंजूरी के समय मान्य ओवीडी प्रस्तुत किया है, तो उधारकर्ता को संवितरण की तारीख से 90 दिनों की समयावधि के भीतर अद्यतन ओवीडी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा ब्याज दर प्रत्येक तिमाही में 0.25% से अगली चार तिमाहियों तक अधिकतम 1% तक बढ़ जाएगी। आरओआई को अगली तिमाही की शुरुआत से मूल ब्याज दर पर बहाल किया जाना है।
37. इस पत्र की हस्ताक्षरित प्रति गृहम को उपर्युक्त और पन्ने के दूसरी ओर के नियमों और शर्तों की सैंक्शन के रूप में दी जानी चाहिए.
38. गृहम के पास एक या अधिक उधारकर्ताओं को फाइनेंशियल सहायता/ऋण सुविधा/ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों और गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों सहित आवास वित्त कंपनियों (इस मंजूरी पत्र में "सह-ऋणदाता" कहा जाता है) के साथ सहयोग/सह-उधार व्यवस्था करने का अधिकार है. इस मंजूरी पत्र पर हस्ताक्षर करके, आप, उधारकर्ता, स्वीकार करते हैं कि आपके ऋण का एक भाग ऐसे सह-ऋणदाता द्वारा, गृहम और ऐसे सह-ऋणदाता के बीच लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सह-उधार व्यवस्था के भाग के रूप में वित्तपोषित किया जा सकता है. स्वीकृति पत्र को स्वीकार करके, आप ऐसे सह-ऋणदाता को अपने ऋण के किसी भाग के निर्धारण/अंतरण को स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं जो ऋण करार में निर्धारित सभी संबंधित नियमों और शर्तों के दस्तावेज़ के अधीन होंगे.
39. इन शर्तों को स्वीकार करने से लोन की शर्तों के बारे में आपकी समझ और समझौते की पुष्टि होती है, जिसमें सह-उधार देने वाली साझेदारी और असाइनमेंट प्रक्रिया भी शामिल है. यह ऋण प्रशासन, सेवा और पुनर्भुगतान से संबंधित मामलों में गृहम और सह-ऋणदाता दोनों के साथ सहयोग करने की आपकी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है.
40. लागू ब्याज़ दर/शुल्क से संबंधित प्रश्न या किसी अन्य प्रश्न के बारे में किसी भी जानकारी के लिए कृपया गृहम की वेबसाइट या इसकी नज़दीकी ब्रांच पर जाएं या हमारी कस्टमर केयर ईमेल ID customercare@grihumhousing.com पर हमसे संपर्क करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-266-3204 पर कॉल करें.

अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

लोन अकाउंट नं. ${(applicationNumber)!} के तहत लोन के सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें, जिन पर गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड था) (इसके बाद 'गृहम' या "ऋणदाता" के रूप में जाना जाएगा) और श्री/कुमारी ${(primaryCustName)!} (इसके बाद 'उधारकर्ता' के रूप में संदर्भित की जाएगा) और अन्य ${(TP_CoApp1Na)!},${(TP_CoApp2Na)!},${(TP_CoApp3Na)!}() के बीच सहमति हुई है, इस प्रकार हैं:

1.ऋण

स्वीकृत राशि: ${(sanctionedLoanAmount)!}

2. ब्याज

(i) प्रकार (फिक्स्ड या फ्लोटिंग या दोहरी/विशेष ब्याज दर): ${(interestRateType)!}

(ii) फ्लोटिंग रेफरेंस रेट (एफआरआर) (तारीख के अनुसार): ${(tp_rate))!}% प्रति वर्ष

(iii) अगर फ्लोटिंग दर है, तो लागू ब्याज दर: एफआरआर (+/-) ${(interestRate)-(TP_Prate)!} % प्रति वर्ष

(iv) अगर फिक्स्ड दर है, लागू ब्याज़ दर: _____ % प्रति वर्ष

(v) अगर संयुक्त दर है, लागू ब्याज़ दर (तारीख के अनुसार): _____ महीनों के लिए _____ % प्रति वर्ष और फ्लोटिंग दर पर: एफआरआर (+/-) ___% = _____% प्रति वर्ष

जो प्रभावी है_____

(vi) मोराटोरियम या सब्सिडी: कृपया लोन पर लागू मोराटोरियम या सब्सिडी पर विस्तृत नियम और शर्तों के लिए स्वीकृति पत्र और लोन एग्रीमेंट देखें.

(vii) ब्याज दर को पुनः निर्धारित करने की तारीख: कोई फ्लोटिंग दर ऋण या संयुक्त दर ऋण (एफआरआर से जुड़े समय की अवधि के दौरान) जब एफआरआर गृहम द्वारा संशोधित किया जाता है तब इसे पुनः निर्धारित किया जाएगा. एफआरआर में ब्याज दर या संशोधन के किसी भी रीसेट के लिए, गृहम ब्याज दर निर्धारित करने के लिए अपनी आंतरिक नीतियों का पालन करेगा. ऐसे ऋण के मामले में, ऋण अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार लागू ब्याज दर समय-समय पर घटायी या बढ़ायी जा सकती हैं.

फ्लोटिंग ब्याज़ दर को फिर से निर्धारित करने पर, उधारकर्ताओं को निम्नलिखित में से किसी भी विकल्प का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाएगा:

(a) ईएमआई में वृद्धि या अवधि में वृद्धि या दोनों विकल्पों के संयोजन के लिए; और,

(b) लोन की अवधि के दौरान किसी भी समय, आंशिक या पूर्ण रूप से प्री-पे करने के लिए, लागू फोरक्लोज़र शुल्क/प्री-पेमेंट दंड के अधीन. लागू एफआरआर/फ्लोटिंग ब्याज दर में किसी भी बदलाव/संशोधन के मामले में, उधारकर्ता के पास गृहम की इंटरनल पॉलिसी के अधीन फ्लोटिंग दर से फिक्स्ड दर पर स्विच करने का विकल्प होगा. हालांकि, फ्लोटिंग दर से फिक्स्ड ब्याज दर में स्विच ओवर करने का ऐसा विकल्प या इसके विपरीत लोन की पूरी अवधि के दौरान दो बार से अधिक उपलब्ध नहीं होगा, जो लागू शुल्कों के अधीन होगा. इसके अलावा, गृहम अपने विवेकाधिकार पर, बिज़नेस रिलेशनशिप के विंटेज और लोन के पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ब्याज दर को पुनर्मूल्यांकन/संशोधित करने का विकल्प प्रदान कर सकता है. ब्याज दर का ऐसा स्विचिंग/रीप्राइसिंग, समय-समय पर गृहम की वेबसाइट पर संलग्न/अपडेट किए गए शुल्कों के टैरिफ शीट शिड्यूल में उल्लिखित स्विच फीस या अन्य शुल्कों के भुगतान के अधीन /शाखाओं और अन्य आंतरिक दिशानिर्देशों पर प्रदर्शित होगा, जिसका निर्णय गृहम द्वारा अपने विवेकाधिकार पर लिया जाएगा.

(viii) ब्याज दर में परिवर्तनों के बारे में बताने के तरीके: गृहम ब्याज दर, विभिन्न प्रकार के फीस और शुल्क सहित उसके किसी संशोधन सहित किसी भी परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित माध्यमों में से किसी एक या तरीकों से सूचना प्रदान करेगा:

- गृहम की शाखाओं में नोटिस लगाना.
- टेलीफोन या हेल्पलाइन के माध्यम से.
- शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस/ईमेल/इलेक्ट्रॉनिक मैसेज या नोटिस के माध्यम से नोटिस
- लिखित में.
- गृहम की वेबसाइट पर.

- निर्धारित कर्मचारी/सहायता केंद्र के माध्यम से.

एक बार ब्याज दर, फीस और शुल्क उपरोक्त किसी भी मीडिया के माध्यम से अधिसूचित किए जाने के बाद, उधारकर्ता को ब्याज दर, विभिन्न प्रकार के फीस और शुल्क में परिवर्तन देखे गए समझे जाएंगे.

3. किस्त का प्रकार: मासिक, जब तक कि अन्यथा मंजूरी पत्र/ऋण करार में उल्लिखित न हो.

4. समान मासिक किश्त ("ईएमआई"): ₹${(monthlyEmi)!}.

आंशिक रूप से वितरित मामलों के मामले में, 'पूर्व-समान मासिक किश्त' ("पीईएमआई") का भुगतान नियत तारीख को मासिक आधार पर किया जाता है. प्रथम डिस्बर्समेंट की तिथि से ईएमआई शुरू होने की तिथि तक पीईएमआई शुल्क लिया जाएगा.

5. लोन की अवधि: ${(tenure)!}

6. लोन का उद्देश्य: ${(TP_App_Prps)!}

7. फीस और अन्य शुल्क: जैसा कि इस लेटर के साथ संलग्न शुल्क के शिड्यूल में उल्लिखित है

8. लोन के लिए सिक्योरिटी/कोलैटरल: लोन के लिए सिक्योरिटी के रूप में निम्नलिखित प्रॉपर्टी को मॉरगेज किया गया है:

(i) प्रॉपर्टी का पता: [#if collateralAddressList?has_content][#list collateralAddressList as collateralAddress]${(collateralAddress)!}[/#list][/#if]

(ii) लोन के लिए गारंटर का विवरण, अगर कोई हो: ${(TP_Gur_cons)!}

(iii) अन्य सिक्योरिटी(सिक्योरिटीज) का विवरण, यदि कोई हो:

9. प्रॉपर्टी/उधारकर्ताओं का बीमा: उधारकर्ता को अपनी लागत पर बंधक परिसंपत्तियों को सभी बीमा योग्य जोखिमों के विरुद्ध तथा ऐसी राशियों और ऐसी अवधि और रूपों के लिए बीमा करवाना चाहिए, जैसा कि गृहम को चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गृहम को ऐसी पॉलिसी के नुकसान भुगतानकर्ता या समनुदेशिती के रूप में उल्लेखित किया गया है. यह सुझाव दिया जाता है कि उधारकर्ता को लिए गए ऋण के प्रति अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए एक जीवन बीमा योजना लेनी चाहिए, जो किसी भी घटना के मामले में उत्पन्न हो सकती है. उधारकर्ता, अपने विवेक से, किसी भी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी से बीमा कवर चुन सकता है.

11. ऋण और ब्याज का पुनर्भुगतान: ऋण का पुनर्भुगतान, मंजूरी पत्र और ऋण करार में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार ब्याज सहित मूलधन और ब्याज घटकों या पीईएमआई सहित ईएमआई के माध्यम से होगा. गृहम ऋण के वितरण के बाद मूलधन और ब्याज के बीच ईएमआई के विवरण को कैप्चर करने के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची प्रदान करेगा. ऋण के लिए देय राशि का बेस्ड भुगतान, गृहम विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार विशेष उल्लेख अकाउंट ("एसएमए") या गैर-निष्पादक आस्ति ("एनपीए") के रूप में ऋण को वर्गीकृत करेगा. इस संबंध में एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

अगर एग्रीमेंट के अनुसार, लोन की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और इस तिथि के लिए दिन-समाप्ति प्रोसेस से पहले पूरी बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो बकाया की तिथि 31 मार्च 2021 होगी. अगर बकाया राशि बनी रहती है, तो लोन को 30 अप्रैल, 2021 (यानी, देय तिथि से 30 दिन पूरे होने पर) के चल रहे दिन की समाप्ति प्रक्रिया पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा. अगर लोन बकाया रहते हैं, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन की समाप्ति प्रक्रिया चलने पर एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा (यानी, देय तिथि से 60 दिन पूरे होने पर). अगर लोन और बकाया कैटेगरी में रहता है, तो इसे 29 जून 2021 को चालू दिन की समाप्ति पर एनपीए के रूप में टैग किया जाएगा (यानी, देय तिथि से 90 दिन पूरे होने पर).

12. बकाया राशि की वसूली के लिए अनुसरण की जाने वाली संक्षिप्त प्रक्रिया: ग्राहक द्वारा देय राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, गृहम को ऋण करार और लागू कानूनों के उपबंधों के अनुसार उधारकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा. ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले, गृहम उधारकर्ता को लागू कानूनों के तहत अपेक्षित सूचना भेजेगा.

13. जिस तिथि पर वार्षिक बकाया बैलेंस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा: _____

14. कस्टमर सर्विस:

(i) कार्यालय खुलने का समय - सप्ताह के दिनों और महीने के तीसरे, चौथे और पांचवें शनिवार (यदि कोई हो) को सभी महीनों के लिए सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

(ii) संपर्क व्यक्ति- कस्टमर सर्विस डेस्क

(iii) विभिन्न डॉक्यूमेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया- कस्टमर को सोमवार से शनिवार को 9:00 A.M. से 7:00 P.M तक हेल्पलाइन 1800 2663204 पर कॉल करना होगा या हमें customercare@grihumhousing.com पर लिख सकते हैं

(iv) निम्नलिखित डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए लगभग समय (टीएटी) बदलें:

 एसओए को प्राप्त करने के लिए - मेल और मेलिंग एड्रेस पर 30 कार्य दिवस.

 डाक पर -15 कार्य दिवसों और डाक पते पर 17 कार्य दिवसों की कॉपी प्राप्त करने के लिए

 लोन को बंद करने/ट्रांसफर करने पर मूल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए- लोन से संबंधित सभी देय राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान/सेटलमेंट के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर, ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा सबमिट किए गए सभी मूल प्रॉपर्टी/टाइटल डॉक्यूमेंट रिलीज़ करेगा और संबंधित रजिस्ट्रेशन के साथ, जहां भी लागू हो, उसे हटाने के लिए कार्रवाई/फाइल शुल्क संतोष फॉर्म लेगा. मूल प्रॉपर्टी/टाइटल डॉक्यूमेंट या तो ऋणदाता की ब्रांच में, जहां से लोन अकाउंट की सर्विस की गई थी या ऋणदाता की किसी अन्य ब्रांच में, जहां आपकी पसंद के अनुसार, कन्फर्मेशन कॉल के बाद, लोन डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, उधारकर्ता को सौंप दिए जाएंगे.

15. शिकायत निवारण

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आपके पास संलग्न प्रश्न समाधान प्रक्रिया के अनुसार ऋणदाता के प्रतिनिधियों से संपर्क करने का विकल्प होगा.

16. सह-उधार और असाइनमेंट को सैंक्शन और सहमति

गृहम को एक या अधिक उधारकर्ताओं को फाइनेंशियल सहायता/ऋण सुविधा/ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सह-ऋणदाता के साथ सहयोग/सह-उधार व्यवस्था करने का अधिकार है. स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर/स्वीकार करके, आप, उधारकर्ता, स्वीकार करते हैं कि आपके ऋण का एक भाग अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है जिनके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लागू दिशानिर्देशों के अनुसार गृहम के साथ सह-उधार व्यवस्था है. आप लोन एग्रीमेंट और सबसे महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी) डॉक्यूमेंट में निर्धारित सभी संबंधित नियमों के अधीन अपने लोन के किसी भाग को सह-ऋणदाता को सौंपने/हस्तांतरित करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं. आपकी सैंक्शन अतिरिक्त दस्तावेजों या औपचारिकताओं की आवश्यकता के बिना इन व्यवस्थाओं के लिए आपकी व्यापक सहमति को दर्शाती है.

यह सहमत है कि ऋण के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, पक्षकार उनके द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले अन्य सुरक्षा दस्तावेजों का उल्लेख करेंगे और उन पर निर्भर करेंगे.

उपरोक्त नियम और शर्तें उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) द्वारा पढ़ी गई हैं/गृहम के श्री/कुमारी _____ द्वारा उधारकर्ता को पढ़कर सुनाई गई हैं और ये उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) को समझ में आ गई हैं.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए. (पूर्व नाम पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	उधारकर्ता:

	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के हस्ताक्षर
	गारंटर गारंटर के हस्ताक्षर

टैरिफ शीट/शुल्क का शिड्यूल (*कृपया नीचे दिए गए नोट देखें)

#	विवरण	लागू राशि
1	लॉग-इन शुल्क (नॉन-रिफंडेबल) (जिसे ऋणदाता के विकल्प पर एक या अधिक ट्रांच में एकत्रित किया जा सकता है)	₹.10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए/-
2	प्रोसेसिंग शुल्क (नॉन-रिफंडेबल)	स्वीकृत लोन राशि का 0.50% तक और GST, न्यूनतम ₹2,000 और GST के अधीन
3	लोन सोर्सिंग/लोन डॉक्यूमेंटेशन/टेक्निकल/वैल्यूएशन/लीगल/CKYC/NESL शुल्क (नॉन-रिफंडेबल)	स्वीकृत लोन राशि का 2% तक (प्रोसेसिंग फीस सहित)
4	स्टैंप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और ऋण अनुबंध पर देय अन्य संबंधित प्रभार, दस्तावेजों पर सुरक्षा सृजन आदि.	संबंधित राज्यों में लागू प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी दरों के अनुसार आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे.
5	लोन कैंसलेशन/रीबुकिंग पर शुल्क	₹5,000/-
6	भुगतान इंस्ट्रूमेंट बाउंस शुल्क (चेक/एसीएच या कोई अन्य मैंडेट)	₹600/- हर बार
7	बकाया ईएमआई/किस्त/प्री-ईएमआई पर ब्याज	लोन पर लागू ब्याज़ दर के साथ.
8	बकाया राशि के भुगतान में देरी के लिए दंड शुल्क (बकाया ईएमआई/किश्त/प्री-ईएमआई पर ब्याज़ के अलावा)	12% प्रति वर्ष, यानी, बकाया/डिफॉल्ट राशि का 1% और बकाया राशि/ईएमआई/किश्त/प्री-ईएमआई के भुगतान में देरी/डिफॉल्ट के प्रत्येक महीने के लिए जीएसटी
9	फ्लोटिंग से फिक्स्ड ब्याज़ दर में स्विच करने के शुल्क और इसके विपरीत; या लोन का पुनर्मूल्यन	बकाया मूलधन राशि पर 0.50%
10	पुनर्भुगतान इंस्ट्रूमेंट/एनएसीएच बदलने के लिए भुगतान इंस्ट्रूमेंट स्वैप शुल्क	₹500 /- प्रति स्वैप
11	अकाउंट का स्टेटमेंट	₹500/- प्रति स्टेटमेंट
12	वार्षिक रूप से शेयर किए गए स्टेटमेंट या लोन वितरण के समय वेलकम लेटर के साथ प्रदान की गई	ईमेल या डिजिटल लिंक के माध्यम से शेयर की गई सॉफ्ट कॉपी के लिए ₹250/-

	लोन एग्रीमेंट की कॉपी के अलावा ब्याज स्टेटमेंट/एनओसी/फोरक्लोज़र लेटर/वेलकम लेटर/एमोर्टाइज़ेशन शिड्यूल/लोन एग्रीमेंट का डुप्लीकेट	और हार्ड कॉपी पर ₹550
13	डॉक्यूमेंट लिस्ट शुल्क	₹ 500/-
14	दस्तावेज़ की प्रतिलिपि प्राप्त करना	एक डॉक्यूमेंट के लिए ₹250 /-, 2 से 4 डॉक्यूमेंट के लिए ₹500/-, 4 से अधिक डॉक्यूमेंट के लिए ₹750
15	आंशिक पेमेंट शुल्क और प्रीपेमेंट/फ़ोरक्लोज़र शुल्क (बंद होने के समय बकाया मूल राशि पर लागू)	निश्चित ब्याज दर वाले मामलों में ऋण के लिए 4% या संयुक्त ब्याज दर के तहत ऋण के लिए निश्चित ब्याज दर अवधि के तहत ऋण और भुगतान उधारकर्ता के अपने स्रोत से नहीं है; या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋणों के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर पर ऋण के लिए 4%.
16	फोरक्लोज़र लेटर जारी करने के शुल्क	₹1500/-
17	कलेक्शन शुल्क	कस्टमर रेजिडेंस/ऑफिस से बकाया राशि का प्रति विजिट कलेक्शन ₹600
18	डिफ़रेंशियल इंटरेस्ट (किसी भी लोन अकाउंट की लागू ब्याज दर और मौजूदा ब्याज दर में अंतर की वजह से अर्जित कोई ब्याज)	इसे ग्राहक के लिए उपयुक्त किसी भी समय या लोन बंद होने के समय रिफंड कर दिया जाएगा या लिया जाएगा
19	लोन के दौरान गृहम हाउसिंग फाइनेंस द्वारा किए गए कोई अन्य आकस्मिक शुल्क	लोन अकाउंट में असाइन/एलोकेट किया गया
20	ओवर द काउंटर सेवा शुल्क - पुनर्भुगतान या दूसरे मामले	जैसा कि सेवाओं के समय लागू होता है
21	सीईआरएसएआई शुल्क	₹ 5 लाख तक की लोन राशि के लिए ₹ 50 प्लस जीएसटी ₹ 5 लाख से अधिक की लोन राशि के लिए ₹ 100 प्लस जीएसटी

कृपया ध्यान दें:

1. ऋण पर प्रभार्य फ्लोटिंग ब्याज दर (आरओआई) बेंचमार्क फ्लोटिंग रेफरेंस रेट (एफआरआर) से जुड़ी होती है, जो बेंचमार्क फ्लोटिंग रेफरेंस रेट (एफआरआर) में संशोधन के अनुसार देय होगी.
2. लागू कानून के अनुसार सभी लागू कर, शुल्क और शुल्क समय-समय पर उपरोक्त शुल्कों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा.

3. ऋणदाता द्वारा एकत्र की गई लॉग-इन फीस केवल अंडरराइटिंग प्रोसेस के दौरान उधारकर्ता की मृत्यु और गंभीर विकलांगता की स्थिति में ही रिफंड की जाती है.
4. ऊपर दिए गए टैरिफ शिड्यूल/शुल्कों का शिड्यूल विस्तृत नहीं है और वर्तमान में उल्लिखित शुल्क वर्तमान में प्रचलित दरों पर हैं और इसे समय-समय पर ऋणदाता के एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर बदला जा सकता है और ऐसे बदलाव अपने सभी कस्टमर के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे. लागू फीस/शुल्क या फ्लोटिंग रेफरेंस रेट (एफआरआर) में बदलाव के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.grihumhousing.com देखें या ब्रांच के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित ऋणदाता की नज़दीकी ब्रांच में जाएं. शुल्कों में किसी भी संशोधन के बाद, ऋणदाता वेबसाइट पर प्रदर्शन, ब्रांच में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, कॉल या नोटिस जैसे किसी भी माध्यम से संशोधन के बारे में उधारकर्ता को सूचित करेगा और उधारकर्ता को संशोधित दरों पर लागू शुल्क का भुगतान करना होगा. मोबाइल नंबर सहित आपके संपर्क विवरण में बदलाव के मामले में, कृपया जल्द से जल्द अपडेट करने के लिए ऋणदाता को सूचित करें.
5. अपने स्रोत" शब्द का अर्थ प्री-पेमेंट/फोरक्लोज़र के उद्देश्य से उधारकर्ता द्वारा उपयोग किए गए/लिए गए किसी भी स्रोत से होगा और जिसमें बैंक, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और/या फाइनेंशियल संस्थान से कोई उधार नहीं लिया जाता है.
6. किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया सोमवार से शनिवार को 9:00 A.M. से 7:00 P.M. तक हमारे टोल-फ्री कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर 1800 266 3204 पर हमसे संपर्क करें या हमें customercare@grihumhousing.com पर लिखें
7. आप हमारी वेबसाइट www.Grihumhousing.com पर क्विक पे विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं और लिंक के तहत विस्तृत निर्देश का पालन कर सकते हैं.
8. उधारकर्ता द्वारा किए गए सभी फोरक्लोज़र अनुरोधों को ऋणदाता द्वारा ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 21 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर ऋणदाता द्वारा संबोधित किया जाएगा.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए. (पूर्व नाम पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	उधारकर्ता: उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के हस्ताक्षर
	गारंटर गारंटर के हस्ताक्षर

कस्टमर की समस्या के समाधान की प्रक्रिया:

हमें कॉल करें

आपके किसी भी प्रश्न या सेवा आवश्यकता के लिए, कृपया हमें 1800 266 3204 पर कॉल करें. हम आपको बेहतर सेवा देने के लिए तत्पर हैं. हमारा कस्टमर केयर कॉल सेंटर सोमवार से शनिवार तक 9:00 am से 7:00 pm के बीच उपलब्ध है.

आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं:

प्रबंधक - ग्राहक सेवाएं,

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: 6ठी मंजिल, बी-बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे-411014, महाराष्ट्र

आपके पास हमें इस ईमेल पर ईमेल करने का विकल्प है: customercare@grihumhousing.com (कृपया विषय लाइन में अपना लोन अकाउंट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करें).

हम आपका लेटर प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर या आपका ईमेल प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे. अगर हम 7 कार्य दिवसों के भीतर आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि ऋणदाता को जवाब देने के लिए हमें अधिक समय क्यों चाहिए.

एस्कलेशन 1 :

अगर आप हमारे कस्टमर केयर/हेल्पलाइन से प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हेड-ऑपरेशन को head.customercare@grihumhousing.com पर लिख सकते हैं (कृपया विषय लाइन में अपना लोन अकाउंट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करें).

एस्कलेशन 2 :

अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आप nodalofficer@grihumhousing.com पर नोडल अधिकारी को लिख सकते हैं

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को एस्केलेशन:

अगर आपको पहली शिकायत करने के एक महीने के भीतर ऋणदाता से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है या आप प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट हैं, तो आप निम्नलिखित संचार माध्यमों के माध्यम से एनएचबी की शिकायत निवारण सेल से संपर्क कर सकते हैं:

(a) **ऑनलाइन मोड-** आप शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: https://grids.nhbonline.org.in.

(b) **ऑफलाइन मोड-** ऑफलाइन/फिज़िकल मोड में पोस्ट द्वारा, आप लिंक https://www.nhb.org.in/grievance-redressal-%20officer पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मेट में लिख सकते हैं/

शिकायत निवारण विभाग, नेशनल हाउसिंग बैंक, कोर 5A, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए. (पूर्व नाम पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)	उधारकर्ता:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के हस्ताक्षर
	गारंटर गारंटर के हस्ताक्षर